तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, जिला अजमेर(राज)** **दीवानी वाद संख्या – 34/16** **सी.आई.एस. संख्या– 42/16** **कन्हैया लाल बनाम सुवा वगैरह** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.01.2026	श्री प्रतीक मेहता विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से। श्री पवनप्रकाश कुमावत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 02 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई जिन्होने इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत ना कर सीधे बहस करना जाहिर किया। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी वादी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 1/2 कैलाश के हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस न होने के आधार पर उसका नाम विलोपित करने की प्रार्थना की। इसके विपरीत प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की। हमनें उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1/2 कैलाश के नाम को विलोपित करने की प्रार्थना की है एवं यह भी निवेदन किया है कि उसके वारिसान पूर्व से ही रिकॉर्ड पर है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1/2 कैलाश को उसका स्वर्गवास होने से विलोपित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उसके नाम के आगे विलोपित शब्द अंकित करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक **23.01.2026** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)** **अपर जिला न्यायाधीश सं.1,** **किशनगढ, अजमेर**	

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, जिला अजमेर(राज)** **दीवानी वाद संख्या – 34/16** **सी.आई.एस. संख्या– 42/16** **कन्हैया लाल बनाम सुवा वगैरह** 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये